राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.22(5)न्याय / 2016 जयपुर, दिनांक 27 FEB 2018

::आज्ञा::

राजस्थान विधि सेवा संवर्ग के निम्नांकित कार्मिक को उनके प्रार्थना पत्र के क्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति नियमानुसार निम्नलिखित शर्तो के साथ एतद्द्वारा प्रदान की जाती है:–

क्र. सं.	नाम (सर्व श्री / सुश्री / श्रीमती / डॉ.)	विभाग का नाम	परीक्षा जिसकी अनुमति चाही है
1.	ज्योति शर्मा कनिष्ठ विधि अधिकारी	राजस्व (ग्रुप–6) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा आयोजित सिविल जज कैडर परीक्षा, 2017
2.	शिवानी शर्मा कनिष्ठ विधि अधिकारी	प्रारम्भिक शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा आयोजित सिविल जज कैडर परीक्षा, 2017
3.	आशीष गुर्जर कनिष्ठ विधि अधिकारी	माध्यमिक शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा आयोजित सिविल जज कैडर परीक्षा, 2017

शर्तेः–

1. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
2. परीक्षा दिवस के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
3. उपरोक्त सभी कार्मिक वर्तमान में इस विभाग के अधीनस्थ कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर कार्यरत है तथा इनका चयन उक्त परीक्षा में होने पर इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।

-ह०-

(डॉ. कैलाश चन्द्र अटवासिया)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. संबंधित कर्मचारी / अधिकारी।
2. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. संबंधित विभाग / रक्षित पत्रावली।

27.02.18

संयुक्त शासन सचिव

D:\VINOD 2015\VINOD BAIRWA\ORDER 2018.docx